बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–9/मेला आवंटन (नालंदा)–III-42/2026–..................(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **नालंदा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड में श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मेला, 2026 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से मो0–10.00 (दस) लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

समाहर्त्ता, नालंदा के पत्रांक–2695/रा0, दिनांक–30.04.2026 के आलोक में **जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड में श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मेला, 2026 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि में से मो0–10.00 (दस) लाख रूपये मात्र** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0008–बिहार राज्य मेला प्राधिकार–2701, लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड– 40–2029001040008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
3. स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय संबंधित मेले के आयोजन के लिए ही किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें ।
4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561(वी0)(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।
5. इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।
6. समाहर्त्ता, नालंदा को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।
7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।

9. यह राशि इस शर्त्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि अतिरिक्त राशि का दायित्व सृजित नहीं किया जायेगा तथा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–**9/मेला आवंटन (नालंदा)–III-42/2026–**1264(9)/रा0, पटना–15, दिनांकः–30/04/2026

प्रतिलिपि :–आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/समाहर्त्ता, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा /उपकोषागार पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।